





(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
बद्रीलाल वगै० बनाम तहसीलदार पीपलू
किरम मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.
प्रकरण संख्या 40 सन् 2025

2025/184

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इरा हुकम की तारीख में जारी हुए
17-04-25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली दर्जा रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 02.05.2025 को पेश हो।</p> <p> उप खण्ड आधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	
02-05-25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप। पत्रावली बाकी तलबी दिनांक 15.05.25 को पेश हो। </p>	
15-05-25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप। पत्रावली वाली तलबी दिनांक 26/05/25 को पेश हो। </p>	
26-05-25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपपक्ष उप। तहसीलदार पीपलू से तज्जायुक्त रिपोर्ट पक्ष। उपपक्ष ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उपपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अनलोक किया गया व उपपक्ष की बहस पर समन किया जाकर प्रस्तुत प्र.पत्र स्वीकार किया जाकर प्र-निर्णय पृथक से लिखना गया, जो शामिल है। पत्रावली निर्णय शुमाद एक्ट दफ्तर दायित्व है खे निपटारा नम्बर से कर है। </p>	

उप खण्ड आधिकारी
पीपलू (टॉक)